


30-10-19

वकील प्रार्थी उपरोक्त राज पैरोकार उपस्थित
पत्रावली का अवलोकन किया जाइ
अवलोकन पाया कि प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित
सुल वाइ संख्या 53/2017 में निर्णय
परिचित होकर सुल वाइ खारिज हो चुका
है चूंकि सुल वाइ का निर्णय होने से प्रार्थना
पत्र औचित्य हीन होने से प्रार्थना पत्र
313/2017 A खारिज हो चुका किया जाता
है पत्रावली नम्बर से कान की जाकर
जाद तकमिल सुल वाइ संख्या 53/2017
के साथ संलग्न है।

सत्यमेव जयते


(कमल यादव)
सहायक कलक्टर
उपस्थानाधिकारी
हुकुमगढ़

Web Copy - Not

